चीनी मिल घोटाले में जब भी होगी सीबीआइ जांच, मचेगा हंगामा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : यह तय है कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। यह भी तय है कि सीबीआइ ने कोई जांच शुरू नहीं की। ठीक उसी तरह यह भी तय है कि बसपा सरकार में सरकारी चीनी मिलों की बिक्री में हुए करीब ग्यारह सौ करोड़ रुपये के कथित घोटाले की सीबीआइ जांच जिस दिन भी हुई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आना तय है। भाजपा इसे जांच प्रक्रिया बताएगी, जबकि चुनाव में उसे रोकने की कोशिश कर रहे सपा-बसपा इसे विपक्ष को डराने की कोशिश कहेंगे।

चीनी निगम की 21 चीनी मिलों को वर्ष 2010-11 में सात निजी कंपनियों को बेचा गया था। सीबीआइ प्रवक्ता ने सोमवार को दिल्ली में 'दैनिक जागरण' से स्पष्ट कहा है कि अभी न तो पीई (प्रीलिमिनरी इंक्वायरी) की है और न ही कोई जांच शुरू की है। ठीक यही बात लखनऊ में प्रमुख सचिव, गृह ने पत्रकारों से कही। उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को शासन ने 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए करोड़ों के घोटाले की सीबीआइ जांच व विवेचना कराए जाने संबंधी पत्र केंद्र सरकार को भेजा तो है, लेकिन उस पर अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। जाहिर है, केंद्र सरकार में अभी पत्र पर मंथन चल रहा है। सूत्रों के अनुसार अब तक की जांच में सीधे पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का नाम नहीं आया है, लेकिन सीबीआइ जांच की आंच प्रमुख बसपा नेताओं व कई आइएएस अधिकारियों से होते हुए मायावती तक पहुंचना तय माना जा रहा है। मामला यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सत्ता में आते ही बसपा शासनकाल में हुई चीनी मिलों की बिक्री को धांधली बताया था। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी कि वह इस प्रकरण की जांच सीबीआइ से कराएंगे। मई 2017 में न्याय विभाग ने इस घोटाले की सीबीआइ जांच कराने की संस्तुति की थी। राज्य सरकार ने अपने श्वेत पत्र में भी चीनी मिलों की बिक्री में हुए घोटाले का जिक्र किया था। फिर यह केस सुप्रीम कोर्ट गया जिसने बीती सितंबर में राज्य सरकार और सीबीआइ से जवाब तलब किया। प्रमुख सचिव, गृह अरविंद कुमार ने बताया कि सहारनपुर के कारोबारी मुहम्मद इकबाल ने सात-आठ चीनी मिलें खरीदी थीं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के एसएफआइओ (सीरियस क्राइम इंवेस्टीगेशन ऑफिस) ने इस प्रकरण की जांच की थी, जिसमें बैलेंस शीट में काफी गड़बड़ी पाई गई थी। बोगस कंपनी नम्रता मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड व गिरियाशो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के जरिये नीलामी में चीनी मिलों को खरीदा गया था। इन कंपनियों के डायरेक्टर मुहम्मद इकबाल के बेटे मुहम्मद जावेद व मुहम्मद वाजिद थे। मुहम्मद इकबाल एक विश्वविद्यालय भी चलाते हैं। आरोप है कि चीनी मिलों की खरीद में खनन के जरिये कमाई गई रकम खपाई गई थी। एसएफआइओ की जांच के बाद चीनी निगम लिमिटेड ने मिलें खरीदने वाली दोनों बोगस कंपनियों के खिलाफ नौ नवंबर, 2017 को गोमतीनगर थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी।

कसेगा शिकंजा

- बसपा सरकार में सरकारी मिलों की बिक्री में 11 सौ करोड़ रुपये के कथित घोटाले का मामला
- अब तक केंद्र सरकार ने जारी नहीं की अधिसूचना, जांच से उप्र की राजनीति में आएगा भूचाल

Daimik Jagaran
8/5/18